15.3.2018	आज पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित नहीं। यह प्रकरण तहसीलदार वैर से वांछित रिपोर्ट के अभाव में काफी समय से लम्बित चल रहा है। जिसके लिये तहसीलदार वैर को क्रमांक 853 दिनांक 9.10.2017 से भी लिखा जा चुका है किन्तु रिपोर्ट आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। अवलोकन किया गया। यह प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 28.6.2017 के परिपेक्ष्य में प्राप्त हुआ है। जिसमें स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि मौका जांच कर यह निष्कर्ष निकालना है कि आवंटन से क्या नदी/नाले के बहाव क्षेत्र में रूकावट पैदा हो रही है ? इस संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 सिविल याचिका संख्या 1536/03 में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 D.N.J. 2004(3) (Raj.) Page 1245 (Abdul Rahman Vs State of Rajasthan & Ors.) तथा स्पेशल अपील याचिका संख्या 850/15 शीर्षक रामकरण बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2015 R.R.T. 2016 (1) (H.C.) Page 718 (Ramkaran Vs State of Rajasthan) को मध्यनजर रखकर मौका स्थिति की पूर्ण जांच कर अगर आवश्यक हो तो रैफरेंस भिजवाये । जिसके लिये तहसीलदार वैर को पत्रांक 858 दिनांक 9.10.2017 से भी ताकीद की जा चुकी है। किन्तु प्रकरण में न तो प्रार्थी/तहसीलदार की ओर से विधिवत पैरवी की जा रही है और न ही वांछित कार्यवाही कर रिपोर्ट भिजवायी जा रही है जबकि वहैसियत भूमिधारी/प्रार्थी तहसीलदार वैर का दायित्व बनता है। अतः भूमिधारी तहसीलदार वैर को मण्डल के निर्णय दिनांक 28.6.2017 के परिपेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि मण्डल के निर्णय की अक्षरशः पालना करते हुये यदि बाद जांच/बाद वांछित रिकार्ड पूर्ति यह प्रकरण रैफरेंस योग्य पाया जाता है तो पुनः नये सिरे से पेश करने की स्वतन्त्रता के साथ यह पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। आज्ञा सुनाई गई। **अतिरिक्त जिला कलक्टर** **भरतपुर**	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official